

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

पीठासीन नं. 2024/280
मुकदमा नम्बर 109/2024

दर्ज दिनांक-20.06.2024

हेतराम पुत्र खमाणचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बडवासी, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
-आवेदक

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
2. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

वकील वादी : - श्री विप्लव पण्डित, श्री तेजपाल सिंह दूत
वकील प्रतिवादी सं. 1:- श्री संदीप कुमार सैनी
वकील प्रतिवादी सं. 2:- एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी सं. 3:- पैरो. राज.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 14.10.2024

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी कि सरहद में खाता सं. 630 की भूमि खसरा नं. 63 रकबा 1.14 है0 तथा राजस्व ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी के खाता सं. 154 की भूमि खसरा नं. 65 रकबा 0.57 है0 के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर भूमि खसरा नं. 65 रकबा 1.14 है0 का वादी को तथा खसरा नं. 63 रकबा 0.57 है0 का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अथवा राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 63 के स्थान पर खसरा नं. 65 व खसरा नं. 65 के स्थान पर खसरा नं. 63 दुरुस्त किया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे।

वादी वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की और से इकवालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज व्यक्त नहीं किया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट ली गई जिनकी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./19/4052 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में ख.नं. 63 की जगह 65 व व ख.नं. 65 की जगह 63 लिखा गया है जो मौके अनुसार बदलाव किया जाना उचित है।


बहस वाद वादी एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुझुनू

:: आदेश ::

लिहाजा बाद वादी पौषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर छिकी किया जाता है तथा ग्राम बड़वासी पटवार हल्का बड़वासी कि सरहद में खाता सं. 630 की भूमि खसरा नं. 63 तथा खाता सं. 154 की भूमि खसरा नं. 65 के राजस्व रिकॉर्ड को मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./19/4052 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किये जाकर आवश्यक अग्रतदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जासीमएस नं. 2024 / 280
मुकदमा नम्बर 109 / 2024

दर्ज दिनांक-20.06.2024


(हेतराम बनाम धर्मपाल वगै0)
दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी कि सरहद में खाता सं. 630 की भूमि खसरा नं. 63 तथा खाता सं. 154 की भूमि खसरा नं. 65 के राजस्व रिकार्ड को मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ. /19/4052 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तदनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाकर आवश्यक अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 14 माह 10 सन 2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वज्रह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00